न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार झिंगोनिया)
प्रकरण / प्रार्थना पत्र / एल.आर. 136 / मु0नं0 27 / 2022

1. रामगोपाल खाती पुत्र पन्ना लाल खाती जाति खाती निवासी मथानियां ग्राम पंचायत सिंगावल तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः–11.02.2025

उपस्थितः– श्री त्रिलोक जांगिड़ अधिवक्ता प्रार्थी
पैरोकार सरकार

निर्णय अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

प्रार्थीगणों ने इस प्रार्थना–पत्र साराक्षतः निवेदन किया है कि प्रार्थीगण द्वारा ग्राम मथानियां पटवार हल्का सिंगावल, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सिंगावल तहसील भिनाय की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2071–2074 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 53, खाता संख्या 32 और खाता संख्या 179 में दर्ज खसरा नम्बरान प्रार्थी की पुश्तैनी आराजीयात है। जो उनके पिता स्व0 पन्ना की विरासत से उनको प्राप्त हुई है। वर्तमान जमाबन्दी में सहवनवश प्रार्थी का नाम गोपाल पुत्र पन्ना अकिंत हो गया है। जबकि प्रार्थी का सही नाम रामगोपाल पुत्र पन्ना है। अतः राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम सही नाम रामगोपाल दर्ज कराकर अभिलेख सही करवाये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण दर्ज किया जाकर, तहसीलदार भिनाय को जवाब / रिपोर्ट पेश करने बाबत् जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार भिनाय द्वारा पत्रावली में जवाब प्रार्थना–पत्र, प्रस्तुत कर वांछित दुरूस्ती धारा 136 रा0भू0अधि0 के तहत किया जाता उचित नहीं बताया, जिसकी एक प्रति वकील प्रार्थी को दिलवायी जाकर शामिल मिशल किया गया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। प्रकरण के सन्दर्भ में प्रार्थीगणों के अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार को सुना गया। दौराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी का सही नाम रामगोपाल पुत्र पन्ना है। परन्तु राजस्व अधिकारीयों / कर्मचारियों द्वारा भुलवश प्रार्थी का नाम खाता संख्या 53, खाता संख्या 32 तथा खाता संख्या 179 में गोपाल पुत्र पन्ना दर्ज कर दिया गया। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत तथा उचित है। वकील प्रार्थी द्वारा अपनी निवेदन के समर्थन में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पहचान–पत्र, जॉब–कार्ड, सरपंच ग्राम पंचायत सिंगावल का प्रमाण–पत्र, सहखातेदार महावीर पिता रामधन का शपथ–पत्र आदि पेश किये जा चुके है। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र के अनुसार कथन करते हुए, न्यायालय के समक्ष निवेदन किया गया कि, प्रार्थी के पिता पन्ना पुत्र सवाई की विरासत का नामान्तरण प्रार्थी के पक्ष में नामान्तरण संख्या 59, और नामान्तरण संख्या 60 दिनांक 24.06.1992 तथा नामान्तरण संख्या 121 दिनांक 30.10.2001 के तहत खोला गया, जिसमें प्रार्थी का नाम गोपाल ही दर्ज है। चुकि उक्त प्रकार की शुद्धि धारा 136 रा0भू0अधि0 के तहत नहीं की सकती है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज, जवाब तहसीलदार भिनाय, संबंधित पटवारी की रिपोर्ट, बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पहचान–पत्र, जॉब कार्ड, शपथ–पत्र, संलग्न नामान्तरण आदि का गहनता से अध्ययन तथा बहस का मनन करने पर पाया गया कि प्रार्थी के पिता स्व0 पन्ना पुत्र सवाई की विरासत का नामान्तरण प्रार्थी के पक्ष में नामान्तरण संख्या 59, और नामान्तरण संख्या 60 दिनांक 24.06.1992 तथा नामान्तरण संख्या 121 दिनांक 30.10.2001 के जरिये खोला गया, जिसमें प्रार्थी का नाम गोपाल ही दर्ज है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य–सबूत पेश नहीं किया है, जिसमें पुरानी राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी का नाम रामगोपाल दर्ज हो। ना ही कोई लिपिकिय त्रुटि या अशुद्धि से संबंधित कोई अन्य राजस्व रिकॉर्ड पेश किया गया है। अतः प्रार्थी की वांछित शुद्धि धारा 136 रा0भू0अधिनियम की परिभाषा में नहीं आती है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अनुतोष योग्य नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार झिंगोनिया)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, अजमेर

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)